न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 71/2023 **G.C.M.S. No.** 2023/353 दर्ज दिनांक : 20.10.2023

अपीलार्थिगण:

1. कपुराराम पुत्र श्री मकनाजी
2. मादाराम पुत्र श्री मकनाजी
3. समदा पत्नि मकनाजी तमाम जातियान चौधरी, निवासीगण निम्बला, तहसील भाद्राजून, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. कंचनकंवर पत्नि हीरसिंह जाति राजपूत, निवासी निम्बला, तहसील भाद्राजून, जिला जालोर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाद्राजून जिला जालोर।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा उपखंड अधिकारी आहोर जिला जालोर के राजस्व प्रकरण संख्या 38/2021 बअनवान कंचन कंवर बनाम राजस्थान सरकार वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2023</u>

उपस्थित–

1. श्री जितेन्द्रकुमार चौधरी, श्री मांगीलाल चौधरी, श्री चुन्नीलाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री तेजसिंह बालावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट

निर्णय

दिनांक: 12.12.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा उपखंड अधिकारी आहोर जिला जालोर के राजस्व प्रकरण संख्या 38/2021 बअनवान कंचन कंवर बनाम राजस्थान सरकार वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) की उप धारा (1) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 846 रकबा 3.10 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में आने–जाने हेतु अपीलांट्स के खातेदारी खेत खसरा संख्या 834 रकबा 4.19 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में से रास्ता प्रदान करने बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जोकि न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अपीलांट को नोटिस जारी किये, किन्तु अपीलांट को नोटिस तामील नहीं हुए एवं न ही तामील की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। हस्तगत प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक ने जांच व नाप के पूर्व किसी भी पक्षकार को नोटिस नहीं दिया। उसके स्वयं के द्वारा बिना पटवारी के सहयोग के एकतरफा जांच करके अपनी रिपोर्ट में रेस्पोंडेंट की अत्यधिक आवश्यकता होना जाहिर किया। परंतु यह नहीं दर्शाया कि अत्यधिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

आवश्यकता किस बाबत है। भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया कि यह जोत केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं हैं। भू–अभिलेख की रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोंडेंट को काश्त के लिए रास्ता नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त भू–अभिलेख निरीक्षक ने जांच रिपोर्ट में यह दर्शाया है कि रेस्पोंडेंटगण को अपने खेत में जाने के लिए खसरा संख्या 834 के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। जबकि इसके अलावा दो विकल्प खसरा संख्या 848 भी हैं। इसके अलावा इन खसरों के चारो तरफ रास्ता है। इन खसरों से रेस्पोंडेंट को अपने खेत में जाने के लिए कम दूरी है। अपीलांटगण के खसरा से भी यदि रास्ता देना होता तो खसरा संख्या 834 व 848 के बीच की माठ पर दोनों आधा–आधा कर के भी बता सकते थें। इतना ही नहीं ग्रामवासी भी अपने खेतों में जाने के लिए पड़ोसी की माठ–माठ पर ही जाते हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी भी आज दिन तक उसी माठ–माठ से आते–जाते रहे हैं। जिसमें किसी प्रकार की रोक–टोक नहीं की गई हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिवत नोटिस तामील करवाए, एकपक्षीय त्रुटिपूर्ण मौका रिपोर्ट को आधार मानते हुए, वैकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुए भी जानबूझकर अपीलांट की आराजी से नया रास्ता प्रदान कर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर उक्त विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील निर्णय को अपास्त फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। हमनें विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी एवं बहस पर मनन करते हुए पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. रेस्पोंडेंट संख्या 1 कंचनकंवर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी ग्राम निम्बला स्थित खसरा संख्या 846 तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने का निवेदन किया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.10.2023 द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 834 में से रास्ता स्वीकृत किया गया।
2. अपीलांट का मुख्य उज्र यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को नोटिस तामील नहीं हुए। नोटिस जारी दिनांक 01.09.2022 को किया गया और प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा नोटिस सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. दिनांक 15.03.2023 को करवाई गई। जो अपीलांट को तामील नहीं हुई। भू–अभिलेख निरीक्षक ने जांच रिपोर्ट जांच करने से पूर्व अपीलांट को सूचित नहीं किया। रेस्पोंडेंट के लिए खसरा संख्या 834 के अलावा खसरा संख्या 848 से निकटतम विकल्प उपलब्ध था। लेकिन भू–अभिलेख निरीक्षक ने उसका अंकन नहीं किया।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट्स को सम्मन की तामील रजिस्टर्ड डाक से हो चुकी थीं तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की जांच रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार कर पेश की गई हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

धारा 251–क के प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक सक्षम अधिकारी होता है। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट्स की आराजी एवं इससे लगते हुए अन्य खसरान के भू–नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रेस्पोंडेंट की आराजी खसरा संख्या 846 तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 834 में से प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी का है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में भू–अभिलेख निरीक्षक भाद्राजून द्वारा दिनांक 09.01.2023 को तैयार मौका रिपोर्ट एवं दिनांक 27.08.2021 को तैयार मौका फर्द दोनों के अवलोकल से स्पष्ट है कि दोनों रिपोर्ट में खसरा संख्या 834 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जो निकटतम है। साथ ही अपीलांट द्वारा ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह विश्वास किया जाए कि खसरा संख्या 834 में स्वीकृत रास्ते के अतिरिक्त कोई अन्य निकटतम दूरी का विकल्प उपस्थित हों। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलांट के उज्र आधारहीन एवं अप्रमाणित है। जो स्वीकारयोग्य नहीं हैं, साथ ही अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि साबित नहीं होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से इसे खारिज/अस्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी आहोर जिला जालोर के राजस्व प्रकरण संख्या 38/2021 बअनवान कंचन कंवर बनाम राजस्थान सरकार वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2023 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णीत होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **12.12.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली